भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2410

(शुक्रवार, 9 मार्च, 2018/18 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया गया)

मुखौटा कंपनियों के विरुद्ध दिशानिर्देश

2410. श्रीमती एम. वसन्तीः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुखौटा कंपनियों पर सख्त कार्रवाई करने और इन कंपनियों के निदेशकों द्वारा इनकी धनराशि के दुर्विनियोजन के संबंध में कार्रवाई प्रारंभ की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) इस संबंध में दिशानिर्देश कब तक लागू होंगे?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) से (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन "शैल कंपनी" शब्द परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन धारा 248(1)(ग) में ऐसी कंपनी का नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रावधान है जो तत्काल पूर्ववर्ती 02 (दो) वित्तीय वर्षों से कोई व्यवसाय नहीं चला रही या परिचालन में नहीं है और उस कंपनी ने धारा 455 के अधीन निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए उक्त अवधि में कोई आवेदन नहीं किया है। उपर्युक्त प्रावधान के आधार पर 31.03.2017 तक इस श्रेणी के अंतर्गत 2.97 लाख कंपनियों की पहचान की गई और उचित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद 31.12.2017 तक 2,26,166 कंपनियों के नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिए गए। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम की धारा 167 के साथ पठित धारा 164(2)(क) के अधीन लगातार तत्काल पूर्ववर्ती 03 (तीन) वित्तीय वर्षों के लिए वित्तीय कथन या वार्षिक रिटर्न फाइल न करने के लिए 3,09,619 निदेशकों को अयोग्य घोषित किया गया।

साथ ही केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 210(1)(ग) के साथ पठित धारा 216 के अधीन 68 कंपनियों के वास्तविक स्वामित्व की जांच करने का आदेश दिया है जिन्होंने नोटबंदी अवधि के दौरान बैंक खातों में असामान्य ढ़ंग से धनराशि जमा की है और निकाली है।

*****